2/-21/8

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव। प्रकरण विचार हेतु नियत है। उभयपक्षों को सुना।

प्रकरण में थाना गोहद के अप०क० 27/17 अंतर्गत घारा 294, 323, 506 बी की प्राथमिकी अभियुक्तगण अमित प्रताप पुत्र रघुनाथसिंह, गौरवसिंह पुत्र रघुनाथसिंह तथा रघुनाथसिंह पुत्र भीकमसिंह गुर्जर के विरूद्ध फरियादी राहुल पुत्र सुरेन्द्रसिंह गुर्जर की रिपोर्ट से पंजीबद्ध की गयी थी। तत्पश्चात् अभियोग पत्र क० 35/17 दिनांक 17.07.17 में उक्त अपराध के अतिरिक्त धारा 324 भादिवि० के अधीन अपराध वृद्धि कर प्रस्तुत किया गया।

उक्त दिनांक को ही अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव ने मान० उच्च न्यायालय के एम0सी0आर0सी0 क0 2073/17 आदेश दिनांक 18.04.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि मय शपथपत्र के प्रस्तुत की, जिसके अनुसार उक्त अपराध कमांक 27/17 को मान० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए अपास्त कर दिया है। अभियोगपत्र में मान० उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के उक्त आदेश का कोई हवाला भी नहीं था और न ही उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की है। इस कारण से अभियोगपत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जबिक प्राथमिकी के अपास्त हो जाने पर अभियोगपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

अतः प्रस्तुत प्रकरण उपरोक्त आधार पर प्राथमिकी के अपास्त हो जाने से प्रचलन योग्य नहीं रह जाता है। अतः उक्त आदेश के प्रकाश में प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्जकर संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित हो।

Judicial Magistrate First Glass
Gohad distt. Bhind (M.P.)